

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2453
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं

2453. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में देश भर में मंत्रालय के अंतर्गत प्रभावी केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पूरे भारत में आन्ध्र प्रदेश और नेल्लोर जिलों को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इन योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों की कुल संख्या का जिला-वार, विशेषकर नेल्लोर जिले में ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर नेल्लोर जिले में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत पूरी की गई, वर्तमान में लंबित और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने उपरोक्त विनिर्दिष्ट योजनाओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रचार-प्रसार गतिविधियां की हैं, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ सिंह ठाकुर)

- (क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध-1** में दी गई है। आंध्र प्रदेश के संबंध में, पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही

योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, रिलीज और उपयोग की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए जिला स्तरीय आवंटन राज्य-स्तर पर किया जाता है और उसका रिकॉर्ड राज्य द्वारा संभाला जाता है। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के मामले में, आवंटन राज्य-वार नहीं, बल्कि परियोजना या पात्रता के आधार पर होता है।

कृषि राज्य का विषय है, इन योजनाओं के लाभार्थियों की कुल संख्या और नेल्लोर ज़िला सहित जिला-वार ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा संभाला जाता है।

योजनाओं के उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्रियान्वित गतिविधियों, गतिविधियों के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता, जिला संसाधन केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, एन.पी.एम.एस.एच.एंड.एफ (राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना) के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पी.के.वी.वाई (परंपरागत कृषि विकास योजना) के तहत प्राकृतिक खेती के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

I. केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम -किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्री.श्योर)

II. केन्द्रीय प्रायोजित योजना**(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)****(ख) कृषोन्नति योजना**

1. एकीकृत कृषि विपणन योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आई. एस. ए. एम- ई-नाम)
2. एकीकृत कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल-आयल -पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम.ओ.वी.सी.डी.एन.ई.आर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
5. वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि-वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएम)
8. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

आंध्र प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएम-किसान योजना के तहत आंध्र प्रदेश में लाभान्वित लाभार्थियों की किस्त-वार संख्या और वितरित राशि का विवरण

किस्त की सं.	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	अंतरित लाभ (रुपये करोड़ में)
पहली	2018-2019 (दिसम्बर-मार्च)	33,16,854	663.37
दूसरी	2019-2020 (अप्रैल-जुलाई)	41,76,086	860.46
तीसरी	2019-2020 (अगस्त-नवम्बर)	42,04,774	859.32
चौथी	2019-2020 (दिसम्बर-मार्च))	47,41,092	990.67
पाँचवी	2020-2021 (अप्रैल-जुलाई)	47,57,732	995.23
छठी	2020-2021 (अगस्त-नवम्बर)	46,90,570	953.22
सातवी	2020-2021 (दिसम्बर-मार्च)	45,36,332	916.67
आठवी	2021-2022 (अप्रैल-जुलाई)	44,63,009	1037.31
नवी	2021-2022 (अगस्त-नवम्बर)	44,28,728	917.55
दसवी	2021-2022 (दिसम्बर-मार्च)	44,61,403	952.91
11वीं	2022-2023 (अप्रैल-जुलाई)	44,00,691	932.61
12वीं	2022-2023 (अगस्त-नवम्बर)	41,50,820	1047.28
13वीं	2022-23 (दिसम्बर-मार्च)	40,73,711	980.79
14वीं	2023-24 (अप्रैल-जुलाई)	41,36,636	996.66
15वीं	2023-24 (अगस्त-नवम्बर)	39,56,931	893.29
16वीं	2023-24 (दिसम्बर-मार्च)	40,76,229	923.87
17वीं	2024-25 (अप्रैल-जुलाई)	41,40,569	875.56
18वीं	2024-25 (अगस्त-नवम्बर)	41,22,252	836.31

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) (योजना की शुरुआत से लेकर अब तक नामांकित किसानों की संख्या):- 37,450
3. मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), प्राइस डेफिसियेंसी पेमेंट स्कीम (पीडीपीएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के घटकों के साथ प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
- (क) आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पीएसएस के अंतर्गत एमएसपी पर खरीदे गए दलहनों, तिलहनों का खरीद विवरण (दिनांक 28.11.2024 तक)

वर्ष /वस्तु	खरीद की गई मात्रा (एम.टी में)	एम.एस. पी मूल्य (रुपये लाख में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
2019-20	2,00,509.72	1,03,109.01	141047
चना	1,27,915.1	62,358.61	71,769
मूंगफली	21,178.14	10,779.67	13,839
मूंग	1,193.3	841.28	741
तुअर	50,223.18	29,129.44	54,698
2020-21	10,525.22	5,388.97	7,001
चना	10,083.8	5,142.74	6,455

मूंगफली	256.87	135.5	328
मूंग	184.55	110.73	218
2021-22	72,603.33	38,423.39	31,243
चना	70,393.81	36,815.96	29,941
मूंग	2,209.52	1,607.43	1,302
2022-23	63,132.10	33,680.98	37,563
चना	63,132.10	33,680.98	37,563
2023-24	4035.95	4,383.04	2,562
कोपरा	4035.95	4,383.04	2,562

(ख) पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटन और व्यय का विवरण तथा आंध्र प्रदेश में लाभान्वित किसानों की संख्या के साथ खरीद आंकड़े का विवरण ।

पीएम आशा के अंतर्गत घटक	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
एम.आई. एस/ पी.एस.एस	2531.80	2004.60	1681.10	1357.90	3595.61	2288.33	4500.00	4007.00	40.00	0.00
पी.डी. पी. एस	321.00	313.18	200.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दलहन का वितरण	748.80	733.89	620.00	537.49	50.00	50.00	166.21	166.21	446.30	446.30
पी.एस.एस *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	2200

* 2023-24 से एमआईएस और पीएसएस के लिए अलग-अलग बजट शीर्ष आवंटित किए गए

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) (2016-17 से 2023-24):

बीमाकृत किसान आवेदन(लाख)	बीमाकृत क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)
342.41	156.74	5394.75

5. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम): इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी को 25.36 लाख रुपये की राशि के साथ 01 (एक) परियोजना मंजूर की गई है।

6. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ): एआईएफ के तहत आंध्र प्रदेश में 1,801 करोड़ रुपये की लागत की 2,499 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

आंध्र प्रदेश के संबंध में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, रिलीज और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मिशन/योजना का नाम	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		आवंटित	रिलीज	व्यय	आवंटित	रिलीज	व्यय	आवंटित	रिलीज	व्यय	आवंटित	रिलीज	व्यय	आवंटित	रिलीज	व्यय
क	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)															
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर	210.34	267.70	267.70	185.01	315.64	312.92	203.47	97.19	97.19	183.20	45.79	42.48	86.33	86.33	0.00
2	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएमएम)	83.19	139.80	139.80	83.19	131.71	131.71	83.19	140.02	140.02	75.00	47.45	47.45	50.99	0.00	0.00
3	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	520.00	452.00	452.00	400.00	100.00	100.00	300.00	180.00	180.00	300.00	222.82	222.82	230	105.75	0.00
4	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता	14.05	14.05	14.05	8.92	8.92	0.00	1.68	0.00	0.00	4.37	0.00	0.00	9.52	4.20	0.00
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	18.00	14.00	14.00	14.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	2.50	0.00	13.99	0.00	0.00
6	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	123.62	123.62	123.62	112.91	100.05	99.90	15.73	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00
	संपूर्ण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	969.20	1011.17	1011.17	804.03	661.31	649.53	614.07	417.21	417.21	580.83	318.56	312.75	400.53	205.98	0.00
ख	कृषोन्नति योजना															
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	55.68	44.12	46.20	47.94	38.75	46.43	40.33	10.08	10.29	35.45	0.00	0.00	42.12	10.53	12.18
2	राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयलपाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)	38.43	31.71	33.83	40.70	28.47	30.94	46.32	19.31	0.24	96.28	0.00	0.00	91.01	17.65	17.65
3	राष्ट्रीय खाद्य तेल - तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)										24.91	0.00	0.00	12.00	3.00	0.81
4	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	114.00	79.38	73.73	120.00	95.00	104.46	108.00	50.00	77.02	100.00	50.00	38.48	63.90	24.00	12.00
5	कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमआई)	14.73	14.21	13.34	19.14	9.57	13.15	20.00	5.00	6.88	13.00	6.50	8.16	8.44	6.33	7.57
6	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	16.50	27.58	20.30	11.50	11.82	3.43	15.00	8.80	1.03	9.00	0.36	0.36	15.30	3.38	2.19
	कुल - कृषोन्नति योजना	239.33	197.00	153.57	239.28	183.61	167.47	229.65	93.19	95.22	278.64	56.86	47.00	232.77	64.89	33.94
